

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

नरेश कुमार आदि बनाम् रणजीतसिंह आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा-88,188 आर.टी.ए.

प्रार्थना पत्र सं.-108/2022

जी.एस.एम.एस. नं. 2022/237

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक
11/8/22	<p>आज वादी की ओर से एक वाद पत्र प्रस्तुत होने पर यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजि. किया जावे। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक-22.08.2022 को पेश हो।</p> <p><i>Prasad</i></p> <p>(प्रियंका तलानिया) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p> <p>22/8/22</p> <p>पत्रावली बतलाने के लिए वकील वरिष्ठ ने अपिलर के लिए निवेदन किया कि हलगत प्रमाण में उनके कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इन्हें वकील वरिष्ठ के विकार के कारण पत्र वा - वरिष्ठ की लत पर खरिप किया जाता है। पत्रावली निम्न प्रकार दाखिल करने हेतु नम्बर ले कर दो।</p> <p><i>Prasad</i></p> <p>(प्रियंका तलानिया) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	<p>जी मान जी, सिविल न्यायालय, अनूपगढ़ नै दिनांक 17/8/2022 को वाद पत्र फैसला कर दिया है। हस्तगत प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते</p> <p><i>Mohit</i> 22/8/22</p> <p>(Mohit Kumar Associate)</p>